19

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–24 / 2014 / 32 भोपाल दिनांक 23/03/2017

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला बालाघाट

2. उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
छिन्दवाड़ा ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बालाघाट

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालाघाट।

विषय :—बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— यथोपरि

72/TC
06/4/17

Sd/-
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 23/03/2017

पृ0क0—एफ 3–24 / 2014 / 32
प्रतिलिपि :—

आयुक्त—सह—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Sd/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभ

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
क्र. 424
दि. 4/4/17
शाखा: विकास योजना-I
अधीक्षक आयुक्त

426/TC

JD TC
07/04/17

ADM(A)
10/4/17

AD(TC)

77/TC

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 23/3/2017

क्रमांक–एफ–3–04/2014/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	बूढ़ी	नजूल शीट क्रमांक 306 प्लाट न0 330/7	2271.561 वर्गमीटर में से 1285.56 वर्गमीटर	आमोद–प्रमोद	सार्वजनिक–अर्धसार्वजनिक (आवास एवं कार्यालय निर्माण) शर्तेः– 1.प्रश्नाधीन भूमि बालाघाट स्थित मोती तालाब से लगकर स्थित होने से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधान के अंतर्गत तालाब के उच्चतम जल स्तर(एच.एफ.एल) से 15 मीटर की दूरी छोड़ना अनिवार्य होगा

					2.आयकर विभाग को यह सूनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि प्रस्तावित निर्माण से तालाब में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। प्रश्नाधीन भूमि पर दूषित जल के उपचार हेतु सीवेंज ट्रीटमेन्ट प्लांटकी स्थापना की जाना अनिवार्य होगा
		योग–	1285.56 वर्गमीटर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 23/3/2017

No.F-3-04/2014/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Balaghat Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	**Village**	**Khasara No.**	**Area (In Hec.)**	**Land use specified in the developme nt plan**	**Modified land use after modifications**
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Budhi	Nazul Sheet No. 306 Plot no. 330/7	1285.56 Sq. Meter out of 2271.561 Sq.Meter	Recreation	Public and Semi Public (construction of House and office) **Conditions :-** 1. The land in question is located by the side of moti talab in balaghat, hence land upto 15 mt. Distance from the FTL of the lake has to be left as per M.P. Bhomi Vikas Niyam 2012 . 2.Income Tax Department has to ensure that the lake is not polluted because of the proposed construction. sewerase treatment plant has to be mandatorily installed on the land in question to treat the polluted water.
		Total	1285.56 Sq. Meter		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Chhindwara as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Housing Department

23/12/17